उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 53/2021/ 425440/12-2099/2029/2019
लखनऊ: दिनांक: 10 सितम्बर, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

एन0पी0के0 काम्प्लेक्स (10:26:26) उर्वरक पर भुगतान किए गए वैट की धनराशि पर ब्याज का भुगतान वाणिज्य कर विभाग को किए जाने के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-105-खाद तथा उर्वरक-04-एन0पी0के0 काम्प्लेक्स उर्वरक पर भुगतान किए गए वैट की धनराशि पर ब्याज का भुगतान-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू. 66,50,000.00 (छांछठ लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

2. प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण संबंधित संस्था को आवश्यकतानुसार कोषागार से सीधे किया जायेगा।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

8. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी।

9. आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

12. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-105-खाद तथा उर्वरक-04-एन0पी0के0 काम्प्लेक्स उर्वरक पर भुगतान किए गए वैट की धनराशि पर ब्याज का भुगतान-42-अन्य व्यय के नामे डाली जायेगी।

13. यह आदेश वित्त विभाग, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या: ई-1-1004-दस-2021-2022, दिनांक 09 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 53 /2021/ 425440(1)/12-2099/2029/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव , राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in